



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244691
CG-DL-E-25032023-244691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]
No. 186]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/236/17/डीडी/220/टीएमसी/आईएनएफ/2017/डीसी/1304/2020: चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. सुशांत मैती (सदस्यता संख्या 052698), सुजागंज पीओ, जिला मिदनापुर, मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल) 721101, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपर्युक्त सीए. सुशांत मैती (सदस्यता संख्या 052698) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपए) का जुर्माना लगाया, जिसका संदाय 90 दिनों के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सुशांत मैती (सदस्यता संख्या 052698) का नाम 24 मार्च, 2023 से 02 (दो) मास की समेकित [01 (एक) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./712/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/236/2017/DD/220/TAMC/INF/2017/DC/1304/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Susanta Maity (Membership No. 052698), Sujaganj PO, DT Midnapore, MIDNAPORE (West Bengal) 721101**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Susanta Maity (Membership No. 052698)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs) only to be paid within 90 days and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for an additional period of 1(One) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Susanta Maity (Membership No. 052698), shall stand removed for a consolidated period of 02(Two) months [01(One) month plus additional 01(one) month] with effect from 24th March, 2023.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./712/2022-23]